न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— 900 / 2021

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
प्रभुराम पुत्र रावतराम जाति सीरवी निवासी बर्फो की ढीमड़ी वार्ड नं. 34 बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

— — — — —

उपस्थिति :— प्रार्थी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता
अप्रार्थी सरकारी पैरोकार

:: **आदेश** :: **दिनांक** 5/7/23

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 1 तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 3126 रकबा 0.0647 हैक्टेयर (8 बिस्वा) किस्म गै.मु. रास्ता आई हुई है। जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज चली आ रही है तथा प्रार्थी अपनी भूमि पर काबिज है। प्रार्थी ने दिनांक 03.03.2014 को अपनी खातेदारी कब्जासुदा की भूमि खसरा नम्बर 3126 रकबा 0.0647 हैक्टेयर (8 बिस्वा) को आवागमन के रूप में कई वर्षो से काम में ले रहा है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 3126 में से निकलकर प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 3127 में स्थित कुए का उपयोग सिचाई करने हेतु आता जाता है। लेकिन मौके पर आस पड़ौस के खातेदार ने प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3126 रकबा 0.0647 हैक्टेयर (8 बिस्वा) किस्म गै.मु. रास्ता पर नाजायज रूप से माठ को अवरूद्ध करना शुरू कर दिया, जिस पर प्रार्थी ने रास्ते की भूमि को अवरूद्ध करने से रोका तो धमकी दी कि रास्ता का नाप नही करने देंगे, जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी के कार्यालय में जाकर सम्पर्क किया और प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3126 रकबा 0.0647 हैक्टेयर (8 बिस्वा) किस्म गै.मु. रास्ता का भू पैमाईश करने हेतु का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा ने दिनांक 03.03.2014 को हल्का पटवारी को मौके पर जाकर भूमि का नाप करने का आदेश दिया, जिसकी पालना करते हुए हल्का पटवारी ने मौके पर जाकर भूमि खसरा नम्बर 3126 रकबा 0.0647 हैक्टेयर (8 बिस्वा) किस्म गै.मु. रास्ता का नाप इत्यादि किया और अपनी मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 24.06.2016 को

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तैयार की गयी। विवादग्रस्त भूमि की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 24.06.2016 को हल्का पटवारी बिलाड़ा चक 1 द्वितीय ने तहसीलदार बिलाड़ा को प्रतिप्रेषित कर दी गयी। इसी प्रकार प्रार्थी ने दिनांक 27.03.2018 को पुनः अपनी खातेदारी कब्जासुदा भूमि खसरा नम्बर 3126 रकबा 0.0647 हैक्टेयर (8 बिस्वा) किस्म गै.मु. रास्ता पर आस पड़ौस के लोगो ने मार्ग को अवरूद्ध करना शुरू कर दिया तो प्रार्थी ने अप्रार्थी के कार्यालय में जाकर सम्पर्क कर भू पैमाईश करने हेतु का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा ने दिनांक 27.03.2018 को हल्का पटवारी को मौके पर जाकर भूमि का नाप करने का आदेश दिया, जिसकी पालना करते हुए हल्का पटवारी ने मौके पर जाकर भूमि खसरा नम्बर 3126 का नाप इत्यादि किया गया और अपनी मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 09.04.2018 को तैयार की गयी। प्रार्थी दिनांक 21.10.2021 को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3126 रकबा 0.0647 हैक्टेयर (8 बिस्वा) किस्म गै.मु. रास्ता पर से जा रहा था लेकिन आस पड़ौस के व्यक्तियों ने रास्ता की भूमि पर पट्टिया रोपने का कार्य करने लग गये, जिस पर प्रार्थी ने ऐसी नाजायज हरकत करने से रोका और उनको समझाया कि रास्ते की भूमि आवागमन के रूप में काम में आ रही है, आप ऐसी नाजायज हरकत नही करे लेकिन आस पड़ौस के व्यक्ति रास्ता को जबरन अवरूद्ध कर रहे है, इस कारण प्रार्थी कोखसरा नम्बर 3126 रकबा 0.0647 हैक्टेयर (8 बिस्वा) किस्म गै.मु. रास्ता का नाप, (सीमांकन) पत्थरगढी करवाने हेतु का यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है।

अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 1 द्वितीय तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 3126 रकबा 0.0647 हैक्टेयर (8 बिस्वा) किस्म गै.मु. रास्ता का नाप (सीमांकन) एवं पत्थरगढी किये जाने का आदेश फरमावे। सीमांकन एवं पत्थरगढी किये जाने के समय पुलिस इमदाद की व्यवस्था दिलायी जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। जिन्होने अपना जवाब पेश किया, जिसे शामिल मिसल कराया गया जो जवाब इस आधार का पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बिलाड़ा चक नं. 1 द्वितीय में खसरा नम्बर 3126 रकबा 0.0647 हैक्टेयर यानि 8 बिस्वा भूमि किस्म गै.मु. रास्ता आई हुई है। पद संख्या 3 व 4 का जवाब इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बिलाड़ा चक नं. 1 द्वितीय द्वारा किये गये सीमांकन दिनांक 24.06.2014 व 09.04.2018 में भिन्न–भिन्न नाप बताया गया है। खसरा नम्बर 3126 का राजस्व नक्शा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अनुसार रकबा 6 बिस्वा ही बनता है, जो मौके पर चौडाई अनुसार दर्शाया है। लेकिन जमाबन्दी में खसरा नम्बर 3126 का रकबा 8 बिसव दर्ज है। जो वर्तमान स्थिति में मौके की चौड़ाई अनुसार नही है। मौके पर रास्ता पूर्णरूप से अवरूद्ध नही है, लेकिन जमाबन्दी में दर्ज रकबे अनुसार मौके पर मौजूद नही है। रास्ते के दोनो ओर अन्य खातेदारों की भूमि आई हुई है। अन्त में निवेदन किया कि वादी द्वारा खसरा नम्बर 3126 का जमाबन्दी में दर्ज़ रकबे अनुसार पत्थरगढी चाही गयी है, जो चौड़ाई व लम्बाई मौके पर प्रर्याप्त नही है। वादी जमाबन्दी में दर्ज रकबे अनुसार मौके पर पत्थरगढी करवाना चाहता है। राजस्व नक्श्झे में खसरे की आकृति जमाबन्दी में दर्ज रकबे अनुसार नही है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 3126 रकबा 0.0647 हैक्टेयर यानि 8 बिस्वा भूमि किस्म गै.मु. रास्ता प्रार्थी की रेकर्डेड खातेदारी की भूमि है इस कारण मौके पर नाप, सीमांकन किया ज़ाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बिलाड़ा चक नं. 1 द्वितीय तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 3126 रकबा 0.0647 हैक्टेयर यानि 8 बिस्वा भूमि किस्म गै.मु. रास्ता का नाप एवं सीमांकन किये जाने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को प्रदान किया जाता है। प्रार्थी नियमानुसार कमीश्नर फीस अप्रार्थी के पास जमा करवायेगा। अप्रार्थी पत्थरगढी के दौरान पुलिस ईमदाद की आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त करने का अधिकारी होगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

आदेश आज दिनांक 5/7/23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते